स्वास्थ्य विभाग

दिनांक 13 जनवरी, 1993

संख्या 46/14/80-5 स्वाश०II.—चंकि सरकार इस बात से सन्तुष्ट है कि हरियाणा राज्य में भयानक महामारी अर्थात् संक्रामक यकृत विकार (पीलिया) फैलने का खतरा है और इस प्रयोजन के लिये इस समय लागू विधि के साधारण उपाय अपर्याप्त हैं ;

इसलिये अब महामारी अधिनियम, 1897 की धारा 2 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करतेहुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा—

(i) उपायुक्तों को उनके अपने-अपने जिलों के क्षेत्रों में निम्नलिखित शक्तियां प्रदान करते हैं :—

(क) किन्हीं निर्दिष्ट खाद्य पदार्थों या पेयों अथवा ऐसे पदार्थों अन्य वर्गों के जिले के किसी स्थानीय क्षेत्र में विक्रय या विक्रय के लिये प्रदर्शन या उसमें आयात अथवा उससे निर्यात को रोकना ;

(ख) किन्हीं अस्वास्थ्यकर खाद्य अथवा पेय पदार्थों को नष्ट करने के आदेश देना ;

(ग) किसी भी व्यक्ति को किसी भी बाजार, भवन, दुकान, स्टाल या ऐसे स्थान में जो किन्हीं खाद्य अथवा पेय पदार्थ विक्रय भण्डारकरण अथवा मुफ्त वितरण के लिये उपयोग मे लाया जाता है प्रवेश करने वाले ऐसे पदार्थों की जांच करने और यदि वह अस्वास्थ्यकर पाये जायें तो जब्त करने, हटाने, नष्ट करने या उसे किसी भी ऐसे तरीके से जैसा यह उचित समझें समाप्त कराने के लिये प्राधिकृत करना ताकि उसे मानवों के उपयोग आने मे रोका जा सके ;

(घ) सभी प्रयोजनों के लिये जल की सप्लाई हेतु उपयुक्त स्थान पृथक करना और किसी अन्य स्रोत से जल के उपयोग का निषेध करना और उस स्रोत का जिससे ऐसी जल सप्लाई प्राप्त की जा सकती है, समय, रीति तथा शर्तें नियमित करना ;

(ङ) किसी बर्फ के कारखाने या बाति जल या खनिज जल कारखाने भी बन्द करने के आदेश देना ;

(च) स्नान के लिये उपायुक्त स्थान पृथक करना और महिलाओं तथा पुरुषों के लिये, जिनके द्वारा ऐसे स्थानों को उपयोग में लाया जा सकता है अलग-अलग समय निर्दिष्ट करना ;

(छ) पशुओं को नहलाने और कपड़े धोने के लिये या जनता के स्वास्थ्य सफाई अथवा सुविधा से सम्बन्धित किसी अन्य प्रयोजनों के लिये स्थान पृथक करना ;

(ज) खण्ड (च) के अधीन विनिर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा सामान्यता भिन्न स्नान करने की अथवा ऐसे प्रयोजन के लिये नियत किये गये स्थानों से भिन्न स्थान पर पशुओं के नहलाने या कपड़े धोने को रोकना ;

(झ) अलगाव शिविरों, अस्पतालों और चिकित्सा निरीक्षण चौकियों की स्थापना करना ;

(ञ) किसी संक्रामक यकृत विकार (पीलिया) से पीड़ित व्यक्ति को अलगाव शिविर या हस्पताल में भेजने तथा रोके रखने के आदेश देना ;

(ट) जिले में किसी मेले के आयोजन को रोकना ;

(ठ) यह आदेश देना कि कोई विनिर्दिष्ट व्यक्ति या किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर सभी व्यक्ति टीका लगवायें व अवस्यकों के मामले में आदेश उनके माता-पिता या अविभावकों को सम्बोधित होंगे और तब ऐसे सभी व्यक्तियों की टीका लगवाने अपेक्षि होंगे ।

(ii) महा-निदेशक, वरिष्ठ निदेशक, निदेशक और उपं निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, हरियाणा, सिविल सर्जनों, जिला स्वास्थ्य अधिकारियों/जिला चिकित्सा अधिकारियों, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों, सभी नगरपालिकाओं, चिकित्सा अधिकारियों,

सरकारी या स्थानीय निकाय अस्पतालों और औषधालयों (डिस्पैन्सरियों) के कार्यभारी चिकित्सा अधिकारियों, सरकारी खाद्य निरीक्षकों, वरिष्ठ सफाई निरीक्षकों, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य निगरान, सहायक यूनिट अधिकारियों, सहायक मलेरिया अधिकारियों और सभी मजिस्ट्रेटों को उनके अपने-अपने अधिकार क्षेत्रों में निम्नलिखित शक्तियां प्रदान करते हैं :—

(क) किन्हीं अस्वास्थ्यकर खाद्य या पेय पदार्थों को नष्ट करने के आदेश देना ;

(ख) किसी संक्रामक यकृत विकास (पीलिया) से पीड़ित अथवा पीड़ित होने की संभावना वाले व्यक्ति को हट जाने और अलगाव शिविर या अस्पताल में भेजने तथा रोक रखने के आदेश देना ;

(ग) ऐसे किसी व्यक्ति को टीका लगवाने के आदेश देना, जिसे उनकी राय में छूट होने का डर हो (अवयस्कों के मामले में ये आदेश उनके माता-पिता या अभिभावकों को सम्बोधित होंगे) ।

(घ) संक्रामक यकृत विकार के रोगियों का पता लगाने अथवा उस बीमारी का टीका लगवाने या रोगाणुनाशन के प्रयोजनार्थ किसी भी परिसर में प्रवेश करना ;

(ङ) किन्हीं नालियों, परिसरों, शौचालयों, वस्त्रों, बिस्तरों, या किसी अन्य वस्तु को जो उनकी राय में रोगाणु ग्रस्त है या जिससे रोगाणुओं के फैलने की संभावना है सफाई या उसके रोगाणुनाशन के और किसी भी वस्तु घृणोत्पादक सामग्री, कूड़ाकर्कट, विष्ठा, गोबर या किसी प्रकार की गन्दगी को हटाने और उसे समाप्त करने अथवा उपयुक्त रोगानुनाशकों (disinfectants) को प्रयोग में लाने में आदेश देना ;

(च) पीने के पानी को सार्वजनिक और निजी दोनों प्रकार की सप्लाई के क्लोरीकरण का आदेश देना ।

(iii) महानिदेशक, वरिष्ठ निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, हरियाणा और सिविल सर्जनों को उनके अपने अपने अधिकार क्षेत्रों में निम्नलिखित शक्तियां प्रदान करते हैं :—

(क) जब भी जिला में संक्रामक यकृत विकार फैलने का डर हो तो नगरपालिका क्षेत्रों एवं पंचायत समितियों के अधीन क्षेत्रों के लिये विद्यमान पद संख्या से दुगने पदों तक मैहतरों या सफाई मजदूरों, सफाई, निरीक्षकों या वरिष्ठ सफाई निरीक्षकों के पद बताना और उक्त पदों को जिले के संक्रामक यकृत विकार (पीलिया) से मुक्त होने की घोषणा की तिथि से एक दूसरे मास तक अस्थायी रूप से भरना और यह आदेश देते हैं कि घर का मुखिया या घर का कोई व्यस्क मदस्य ;

(ख) प्रत्येक पंजीकृत प्राइवेट चिकित्सा व्यवसायी जिसे किसी घर में संक्रामक यकृत विकार (पीलिया) होने का ज्ञान हो, इसकी सूचना इसके पता लगने से चौबीस घण्टे भीतर ग्राम पंचायत के सरपंच को या उसके न होने पर गांव के नम्बरदार को या किसी स्थानीय अस्पताल/औषधालय के कार्यकारी चिकित्सा अधिकारी को या नगरपालिका के सचिव को देगा जिनके अधिकार-क्षेत्र में वह रहता है या व्यवसाय करता है जो बाद में मामले की रिपोर्ट सम्बन्धित सिविल सर्जन को देने का जिम्मेदार होगा ;

(ग) यह निर्देश देते हैं कि खण्ड (i) के अधीन सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा जारी किया गया कोई आदेश उस स्थानीय क्षेत्र में तब तक लागू रहेगा जब तक ऐसा स्थानीय क्षेत्र सिविल सर्जन द्वारा सरकारी तौर पर संक्रामक यकृत विकार से मुक्त घोषित नहीं कर दिया जाता। यह निर्देश देते हैं कि इस आदेश के अधीन सशक्त किसी व्यक्ति द्वारा इसके द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये किये गये किसी उपाय की लागत उस पंचायत समिति या नगरपालिका द्वारा जुटाई जायेगी जिसके अधिकार क्षेत्र में ऐसा उपाय किया है और इसकी वसूली करने के कार्य हरियाणा द्वारा खजाने में सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकरण की निधियों के बकायों में से कटौती द्वारा की जा सकती है।

यह आदेश इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से 31 दिसम्बर, 1992 तक लागू रहेगा।

रघुबीर सिंह,

आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
स्वास्थ्य विभाग।